राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–भागीरथ शाख (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 13/2017

श्री हरा पिता लाला गाडरी जाति गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा .....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री भिया पिता हजारी गाडरी निवासी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज.
2. श्री भैरू पिता हजारी गाडरी निवासी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज.
3. श्री सौनाथ पिता हजारी गाडरी निवासी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज. ....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अ0 1956
:: निर्णय::

दिनांक 11/02/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् न्यायालय मे दिनांक 25/01/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके **ग्राम रीठ प0ह0 रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा राज. में जिसके खाता सं. 302 में आराजी नं. 68 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 303 में आराजी नं. 894/67 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा है।** विवेचित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजि के सीमा चिन्ह नही हाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा हैं। जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता/चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/01/17 को पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिगण पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

ग्राम रीठ प0ह0 रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा राज. में जिसके खाता सं. 302 में आराजी नं. 68 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 303 में आराजी नं. 894/67 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा की पत्थरगढ़ी उभयपक्षो को सूचित कर तिथी निर्धारण के पश्चात् पत्थरगढ़ी की जावें। भूअभिलेख निरीक्षक बिरधोल को उक्त कार्य हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमिश्नर फीस रूपये 1000/–भू–अभिलेख निरीक्षक को जमा करायेगा। आदेश की पालना कर 07 योम में न्यायालय को अवगत करावें। आदेश पृथक से जारी किया जावें। निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हों।

(भागीरथ साख)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी, भीलवाड़ा

प्रतिलिपीः–तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आदेष की पालना करवाकर 07 योम मे कर रिपोर्ट पेश करे

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा